

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/227
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00197
CICOM/R/2018/00107

दिनांक: 16.08.2018

अपीलकर्ता : श्री दाताराम पाल,
पुत्र - श्री श्रीकृष्ण उर्फ राजाराम,
मो0 - महमद हद्दफ, ककरा कलां रोड शाहजहाँपुर,
पो0 - बहादुरगंज, नगर व जिला - शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश - 242001.

निर्णय की तारीख : 16.08.2018


आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.06.2018, 01.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	389/13.08.2018 (1227/10.08.2018)


1. अपीलकर्ता का दिनांक 03.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलयश किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 24.01.2018 को प्राप्त हुआ, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 22.01.2018, 25.04.2018 एवं 28.06.2018 को भी प्रथम अपील दाखिल करने का उल्लेख किया है, इस संदर्भ उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 22.01.2018 एवं 25.04.2018 के प्रथम अपील का अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

2. संवंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/SB/A/2016/000177-MP की सूचना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रति की मांग की गई थी, परन्तु श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई आदेश की प्रति में सूचना आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं उक्त द्वितीय अपील आदेश अपीलकर्ता द्वारा दाखिल द्वितीय अपील से ही संबंधित है। तदुसार श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/SB/A/2016/000177-MP की सूचना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।






(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।


16/8/18


18/8 4-00 PM